न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

...वादी–चन्द्रशेखर | प्रतिवादी–दामोदर व अन्य

...संख्या : 20/2017 **वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा**

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	06.06.2018	–:निर्णय:–	

–:निर्णय:–

आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई।

वकील वादी एवं प्रतिवादी उप0। तहसीलदार फागी की ओर से पैरोकार राज उप0।

वकील वादी ने निवेदन किया कि खतौनी सं. 144 के खसरा नंबर 967, 968, 979, 982, 983, 984, 985, 986, 1011, 1240, 1448/905 कुल किता 11 कुल रकबा 45 बीघा 10 बिस्वा, खतौनी सं 145 के खसरा नंबर 285, 286, 287, 288, 289, 290, 307, 308, 309, 310, 316 कुल किता 11 कुल रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा, खतौनी संख्या 146 का खसरा नंबर 1362/4 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा एवं खतौनी संख्या 147 के खसरा नंबर 1241, 1242, 1253, 1254 कुल किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा ग्राम गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 का बराबर–बराबर हिस्सा अर्थात प्रत्येक का 1/6–1/6 हिस्सा है। आराजीयात राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। आराजीयात पैतृक है इस कारण आराजीयात में वादी का हक अधिकार है न्यायहित में वादी वाद स्वीकार फरमाया जावे।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 5 ने पूर्व मे राजीनामा पेश किया हुआ है।

प्रतिवादी संख्या 3 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पूर्व में प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी वाद डिक्री किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है।

वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी बाद बहस मनन स्वीकार कर मूल वाद में लाल स्याही से संशोधन करवाया गया है।

वाद पत्र पर पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, राजीनामा इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 ने राजीनामा के माध्यम से वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है, न्यायहित में वादी वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी वाद राजीनामानुसार स्वीकार कर डिक्री किया जाकर खतौनी सं. 144 के खसरा नंबर 967, 968, 979, 982, 983, 984, 985, 986, 1011, 1240, 1448/905 कुल किता 11 कुल रकबा 45 बीघा 10 बिस्वा, खतौनी सं 145 के खसरा नंबर 285, 286, 287, 288, 289, 290, 307,

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

308, 309, 310, 316 कुल किता 11 कुल रकबा 13 बीघा 05 बिस्वा, खतौनी संख्या 146 का खसरा नंबर 1362/ रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा एवं खतौनी संख्या 147 के खसरा नंबर 1241, 1242, 1253, 1254 कुल किता 4 कुल रकबा 13 बीघा 16 बिस्वा ग्राम गोपालपुरा, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी व प्रतिवादी संख्या लगायत 5 प्रत्येक को 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट डाबिच में सुनाया गया।

(सावन कुमार चायल)
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
फागी

Scanned by CamScanner